

-12-

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 1553 / वाद सं0 एल-0017/एस-6/2025,

दिनांक:

2025 3/7/25

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि श्री प्रवीण बंसल/भू-स्वामी चैक डांडा लखौण्ड सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर लगभग 10 से 12 बीघा क्षेत्रफल में बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये भू विन्यास का कार्य करते हुए प्लाटिंग का निर्माण किया जा रहा है। अवैध प्लाटिंग का कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद संख्या एल-0017/एस-6/2025 योजित किया गया है। उक्त अवैध निर्माण दिनांक 9/7/25 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी0अधि0/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून। 0/c

प्रतिलिपि:-1 पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्त की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2- नायब तहसीलदार देहरादून, को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) देहरादून के पत्र सं0 1205/ विविध-जेए/2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

3- संबन्धित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर के इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय यपर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

5- नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को ध्वस्तीकरण से संबन्धित समस्त सामग्री (जे0सी0बी0) संबन्धित सहायक अभि0/ अव0 अभि0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6- श्री प्रवीण बंसल/भू-स्वामी चैक डांडा लखौण्ड सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्माण को दिनांक 9/7/25 को ध्वस्त किया जाना है। विपक्षी नियत तिथि पर स्थल पर उपस्थित रहकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादन करवायें। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्र सं 320 दिनांक 26.04.2025 के अनुसार मान्य होगी।

भवदीय,

पी0अधि0/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून। 0/c

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
3/7/25

